

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था०(कार्य०पदा०)-06/2016...../पटना, न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश ज्ञापांक 445 दिनांक 30.03.2018 द्वारा श्री आलोक कुमार (बि०प्र०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुल्तानगंज का स्थानांतरण सचिव, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के पद पर होने के फलस्वरूप उन्हें विरमित करते हुए श्री प्रभात रंजन (बि०प्र०से०), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुल्तानगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुल्तानगंज का अतिरिक्त प्रभार की अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रभात रंजन (बि०प्र०से०), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुल्तानगंज को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुल्तानगंज (भागलपुर) का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


ह०/-
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-01/स्था०(कार्य०पदा०)-06/2016...../न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 09/05/18

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री प्रभात रंजन (बि०प्र०से०), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुल्तानगंज, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव 18